

कार्यालय सहायक अभियन्ता-II
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०,
वाराणसी।

पत्रांक
सेवा में,

दिनांक: 28/8/2015

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
वाराणसी मण्डल,
वाराणसी।

विषय:

नेशनल बिडिंग कोड सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने
के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

आपका पत्रांक-एनओसी/1744-47/2015-16 दि० 03/6/2015

====xx=====

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में जी०एस्०एस्०,

इण्टरनेशनल स्कूल गणेशपुर, तरना, वाराणसी का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय
के अवर अभियन्ता द्वारा किया गया, और पाया गया कि उक्त विद्यालय भवन
नेशनल बिडिंग कोड-2005 के अन्तर्गत निर्मित है।

संलग्नक:- चेकलिस्ट मूल में।

सहायक अभियन्ता-द्वितीय,
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०,
वाराणसी।

पत्रांक

02 कैम्प/ AE-II-015

दि०-28/8/15


सुबन्धक/प्रधानाचार्य जी०एस्०एस्०, इण्टरनेशनल स्कूल गणेशपुर,
तरना, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।


सहायक अभियन्ता-द्वितीय,
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०,
वाराणसी।

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट


(ख) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट:-


क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	<u>भवन की चेक लिस्ट</u>	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ।
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय विकास/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं।
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	6524.37 वर्ग मी०
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ।
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ सेट बैक में पार्किंग नहीं है।
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ।
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ।
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ। नहीं।
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ।
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नहीं।
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ।
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	लगभग है।
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ, नहीं।
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ।
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ।
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	दुब्ली एक जीने का प्राविधान है।
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० स्टेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० हैं?	हाँ।


Architect. P.V.D.



19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ


 मेबर अभियन्ता
 प्रा० ख०, लो०नि०वि०
 वाराणसी


 सहायक अभियन्ता
 प्रा० ख०, लो०नि०वि०,
 वाराणसी।